संख्या: 41/2020/1159/छप्पन-2020-31/2016(SIAS)

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. कलैक्टर,
गौतमबुद्ध नगर।

2. निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2020

विषय: जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्रस्तावित नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के स्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित राजस्व ग्राम-जेवर बांगर की अर्जन हेतु प्रस्तावित 48.0970 हैक्टेयर भूमि की, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के अधीन अधिसूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही।

महोदय,

जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्रस्तावित नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के स्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित जिला गौतमबुद्ध नगर, परगना जेवर, तहसील जेवर, ग्राम जेवर बांगर की अर्जन हेतु प्रस्तावित 48.0970 हैक्टेयर भूमि की, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को जारी कर दी गई है। इसी क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अधिसूचना संख्या-1093/छप्पन-2020-31/2016(SIAS) दिनांक 11 जुलाई, 2020 को जारी कर दी गई है।

2- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) में निर्दिष्ट घोषणा उक्त अधिनियम की धारा 19(4) के अधीन निम्नलिखित रीति में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात्:-

(क) राजपत्र में;

(ख) उस क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित किए जा रहे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलक्टर, उपखंण्ड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में;

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करके;

(ड) प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए।

3- इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि:-

(1) उपर्युक्त बिन्दु 'क' के सम्बन्ध में विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रश्नगत सूचना को राजकीय मुद्रणालय के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था कराई जाएगी।

(2) उपर्युक्त बिन्दु 'ख' के सम्बन्ध में कार्यवाही निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(3) उपर्युक्त बिन्दु 'ग' के सम्बन्ध में कार्यवाही कलैक्टर, गौतमबुद्ध नगर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(4) उपर्युक्त बिन्दु 'घ' के सम्बन्ध में कार्यवाही निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(5) उपर्युक्त बिन्दु 'ड' के सम्बन्ध में कार्यवाही आवश्यकतानुसार कलैक्टर, गौतमबुद्ध नगर के स्तर से सुनिश्चित की जाएगी।

4- इस सम्बन्ध में **अधिसूचना की अंग्रेजी एवं हिन्दी की छायाप्रतियॉ संलग्न कर** प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समस्त सम्बन्धित पक्ष उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक सुनिश्चित करने और कार्यवाही सम्पादन विषयक आख्या अभिलेखीय प्रमाण सहित शासन को दिनांक 15 जुलाई, 2020 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।